

24/9/22

वकील वादी / उभयपक्ष उप० । वकील वादी ने प्रा० पत्र पेश कर वाद को ~~विज्ञा~~ / नोट प्रेस में खारिज किए जाने का निवेदन किया । अतः पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

→